प्रेस नोट ***12/04/2025***

एनडीपीएस एक्ट से संबंधित शातिर अपराधी व हिस्ट्रीशीटर बदरूद्दीन खान द्वारा अपराध से अर्जित धन से बनाया गया तीनमंजिला मकान संख्या 39/4-ए (लगभग 15 लाख 70 हजार रुपये कीमती) थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क–

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली नगर पुलिस व राजस्व टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर एनडीपीएस एक्ट संबंधित शातिर अभियुक्त बदरूद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती (भाई के ट्यूबवेल के पास) थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर मऊ में मु0अ0सं0 320/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से मौजा मुहल्ला मुंशीपुरा (भाई के ट्यूबवेल के पास) तहसील सदर जनपद मऊ में अवैध धन से पुस्तैनी मकान पर आलीशान भवन निर्मित/निर्माणाधीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख 70 हजार रुपये है।

अभियुक्त बदरूद्दीन खान के पास आय का ऐसा कोई वैध स्त्रोत नही है जिससे उक्त बेशकीमती तीनमंजिला मकान बनाया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 22.02.2025 को उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 08.04.2025 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 12.04.2025 को थाना दक्षिणटोला, कोतवाली नगर पुलिस व राजस्व टीम द्वारा उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क किया गया।

अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 442/2006 8/21 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 163/2007 8/21 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 541/2010 8/21 NDPS ACT सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 82/2014 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 237/2014 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 686/2016 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 462/2017 8/22 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
8. मु0अ0सं0 200/2022 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
9. मु0अ0सं0 517/2022 8/21 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
10. मु0अ0सं0 257/2023 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
11. मु0अ0सं0 320/2023 3(1) उ0 प्र0 गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली नगर जनपद मऊ।

15000 (पन्द्रह हजार) रुपये का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर से मु0अ0सं0 01/25 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये का इनामिया अभियुक्त अमन यादव पुत्र गौरीशंकर यादव निवासी महुराई सिंघला थाना गगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 01/25 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ। (इनामिया)

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. अमन यादव पुत्र गौरीशंकर यादव निवासी महुराई सिंघला थाना गगहा जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. उ0नि0 नवीन कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. का0 जितेन्द्र यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. का0 पवन कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. का0 संदीप यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
6. का0 गुलशन शाहू थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
7. का0 गंगाराम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
8. का0 संजीव सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
9. का0 आदर्श मिश्रा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
10. का0 प्रीतम कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
11. म0का0 नन्दनी गुप्ता थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन यादव–

उक्त अभियुक्त के विरूद्ध कुल 08 अभियोग पंजीकृत है, जिसमें थाना दोहरीघाट जनपद मऊ में 06 अभियोग व थाना घोसी जनपद मऊ में 01 अभियोग तथा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर में 01 अभियोग पंजीकृत है।

25 नफर वारण्टी अभियुक्त–

दिनांक 11/12.04.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण इरफान अहमद पुत्र सगीर अहमद निवासी मदनपुरा नई बस्ती थाना दक्षिणटोला, सगीर अहमद पुत्र शमसुद्दीन निवासी मदनपुरा नई बस्ती थाना दक्षिणटोला, इमरान पुत्र सगीर अहमद निवासी मदनपुरा नई बस्ती थाना दक्षिणटोला, इसरार अहमद पुत्र सगीर अहमद निवासी मदनपुरा नई बस्ती थाना दक्षिणटोला, थाना रामपुर पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी

अभियुक्तगण सगीर पुत्र नागा, दिलशाद पुत्र हनिफ निवासीगण रामपुर बनरही थाना रामपुर, थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण अजय सिंह पुत्र रामाज्ञा सिंह निवास रकौली, बाबूलाल पुत्र शंभुनाथ, प्रभावती पत्नी शंभुनाथ निवासी गुलामन का पुरा, प्रद्युमन मौर्या पुत्र बदामा मौर्या निवासी सरवां थाना सरायलखन्सी, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्तगण जब्बार नट पुत्र बालचन्द निवासी इटौरा, श्यामसुन्दर पुत्र जयमंगल निवासी भवराजपुर, निजामुद्दीन उर्फ ढकनु पुत्र सईद निवासी खिरिया थाना रानीपुर, घोसी पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त खरभान पुत्र गिरजा राजपुर निवासी सेमरीजमालपुर, विनोद पुत्र भिमल निवासी भेलउर चंगेरी थाना घोसी, मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण राजेश साहनी उर्फ मनीष साहनी पुत्र गोविन्द साहनी निवासी सरयां, महेन्द्र यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी जमीननरौनी थाना मुहम्मदाबाद व मधुबन पुलिस द्वारा 08 नफर वारण्टी अभियुक्तगण गुड्डु चौहान पुत्र मधु चौहान निवासी खजुहा, उमेश साहनी, अवधेश साहनी पुत्रगण स्व0 लालबिहारी निवासी देवसीपुर, गुड्डु, लालबच्चन, गट्टा पुत्रगण देवनन्दन निवासी अधवारा, दुर्गा प्रसाद पुत्र नन्दु राजभर निवासी पाती, गनेश पुत्र सुरुर निवासी हकारीपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 12.04.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर के सूचना पर दुबारी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 104/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त शिवम रजक पुत्र स्व0 सुभाष चन्द्र साकिन टेसुपार थाना घोसी जनपद मऊ व भैरवपुर बंधा के पास से मु0अ0सं0 85/2025 धारा 137(2)/87/61(2)/65(1) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त खेसारी पुत्र मल्लालु उर्फ मल्लालुद्दीन साकिन जोगी टोला लकुरा परशुरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 12.04.2025 को जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना रानीपुर में उपस्थित रहकर जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर 126 प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कुल 25 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।